न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,गंगापुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली, आर.ए.एस.

दर्ज दिनांक 06.10.2016

प्रकरण संख्याः– 38/2016 (2016/00250)
वाद– अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए.

शीर्षक

1. हिम्मत कुमार आत्मज कन्हैयालाल सुराणा
2. सुन्दर लाल आत्मज कन्हैयालाल सुराणा
3. अनिल कुमार आत्मज कन्हैयालाल सुराणा
4. अशोक कुमार आत्मज कन्हैयालाल सुराणा
5. हेमलता पुत्री कन्हैयालाल सुराणा
6. इन्द्रा पुत्री कन्हैयालाल सुराणा
7. सज्जनदेवी पत्नि कन्हैयालाल सुराणा
   सर्व निवासी सहाड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा हाल नि0 सुरत जिला सुरत (गुजरात)

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर जिला भीलवाड़ा।
2. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये परियोजना निदेशक 6–ए आर0सी0व्यास कोलोनी भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा।

प्रतिवादीगण

उपस्थिति– अधिवक्ता वादीगणः–श्री रीतेश सुराणा
अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 02:– श्री दिनेश चन्द्र बापना
पेरोकार सरकार

वाद पत्र बाबत् घोषणा
अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए.

दिनांक 18.06.2021

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट का पेश किया जो नियमित सुनवाई में विचारण था इसी दौरान प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0 दी0 का पेश कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में संक्षिप्त विचारण किया जाना है लेकिन प्रार्थी द्वारा जो अनुतोष चाहा गया है उसके लिए उक्त प्रकरण की सुनवाई नियमित वाद के रूप में किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है तथा वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी के अलावा उसके परिवारजन भी प्रभावित है जिनको पूर्व मते वादी/प्रार्थी के रूप में संयोजित संक्षिप्त कार्यवाही होने से नहीं बनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.27 15:49:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
जिला भीलवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

जिससे उक्त प्रकरण को धारा 88 रा0का0अ0 के तहत दर्ज कराया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। अतः सादर प्रार्थना हैं कि न्यायहित में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0 का स्वीकार फरमाया जाकर उक्त प्रकरण को धारा 88 आर0टी0ए0 में दर्ज कराये जाने एवं संशोधित वादपत्र रेकार्ड पर लिये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें। उक्त प्ररण पर विपक्षी संख्या 02 द्वारा जवाब पेश कर प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया एवं विपक्षी संख्या 01 पेरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र पर कोई ऐतराज नहीं है का अंकन कर प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया। प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष वहस सुनी जाकर प्रार्थन पर अन्तर्गत धारा 151 जा0 दी0 का स्वीकार कार किया जाकर वादीगण अधिवक्ता को संशोधित वाद पत्र पेश करने हेतु आदेश दिये गये। वादीगण अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. का प्रस्तुत किया जिसमें संक्षेप में तथ्य इस प्रकार कि ग्राम सहाड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) की साविक आराजी संख्या 1547 रकवा 3 वीघा 11 विस्वा भूमि खेमा वल्द हीरा जाट (बरडक) निवासी सहाड़ा के नाम खातेदारी से दर्ज रेकार्ड थी। जिससे अपनी उक्त जमीन छोगालाल आत्मज चतरभुज रांका निवासी खांखला को सन् 1938 में विक्रय कर कब्जा सिपुर्द किया। जिसने उक्त जमीन पुनः गोपीलाल आत्मज हजारीलाल, केसरीमल आत्मज गोपीलाल महाजन को दिनांक 06.06.44 को विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया। तव से ही उक्त भूमि गोपीलाल व केसरीमल के स्वामित्व एवं आधिपत्य में चली आ रही हैं।

यह कि उक्त भूमि क्रय करने के पश्चात संवत 2010 के मध्य कोई राजस्व रेकार्ड जमावंदिया कायम नहीं की गई। राजस्थान एकीकरण के पश्चात ग्राम सहाड़ा की प्रथम जमावंदी संवत 2010 से 2013 कायम की गई।

यह कि उक्त जमीन क्रय करने के पश्चात् गोपीलाल व केसरीमल ने उक्त भूमि में से 3 विस्वा भूमि जो सहाड़ा आवादी से लगती हुई थी को अपने आवासीय प्रयोजनार्थ काम के लिए सम्परिवर्तित करवाई, जिससे जमावंदी वनते समय साविक आराजी संख्या 1547 मे से 3 तीन विस्वा भूमि के नम्बर 1547 / 1 कायम कर उसे विलानाम आवादी दर्ज कर दिया एवं शेष 3 बीघा 8 बिस्वा भूमि को गोपीलाल व केसरीमल के नाम आराजी संख्या 1547 / 2 दर्ज कर कायम कर दी।

यह कि उक्त आराजी संख्या 1547 / 2 में से सड़क मार्ग निकलने से उक्त आराजी का 16 बिस्वा भूमि का भाग पी0डब्ल्युडी के नाम दर्ज कर उसके नं0 1547 / 2क कायम किये गये व शेष रकबा 2 [illegible] भूमि जो केसरीमल के नाम दर्ज रही उसके नम्बर 1547 / 2 ख [illegible] केसरीमल की मृत्यु के पश्चात उक्त आराजी संख्या 1547 / 2 [illegible] विभाजित थी, जिसका पूर्वी भाग जो आराजी संख्या 1547 / 2 के पूर्व में स्थित था वह कन्हैया लाल के व पश्चिम दिशा वाला भाग पारसमल के आपसी विभाजन में रखा गया। यह मौखिक विभाजन के आराजी संख्या 1547 / 1 रकबा 3 बिस्वा भूमि जो गोपीलाल,

2.

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.27 15:49:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(आबकारी अधिकारी)
जिला भीलवाड़ा (राज0)

Scanned with CamScanner

केसरीमल के कब्जे में थी जो उनकी मृत्यु के पश्चात कन्हैया लाल व पारसमल के आपसी विभाजन में कन्हैयालाल के हिस्से मे रखी गई और यह भूमि भी आराजी संख्या 1547/2क के पूर्व दिशा में ही स्थित थी।

यह कि भु–प्रबंध की कार्यवाही के दौरान ग्राम सहाड़ा का भी नवीन बन्दोबस्त हुआ, जिसमें भु–पबंध अधिकारियों ने साबिक आराजी संख्या 1547/1 रकबा 3 बिस्वा भूमि को ग्राम सहाड़ा की अन्य आबादी के साथ मर्ज करते हुए उसे नवीन आराजी संख्या 4643 मे दर्शा दिया तथा आराजी संख्या 1547/2ख का पुर्वी भाग के नवीन नं0 4648 व पश्चिम दिशा के नवीन नम्बर 4976 कायम किये गये।

यह कि उक्त विभाजन से ही आराजी संख्या 4643 के 3 बिस्वा भूमि पर हम वादीगण व हमारे पुर्वज कन्हैयालाल का ही स्वामित्व एवं आधिपत्य चला आ रहा है जिससे पारसमल व उनके वारिसान का कभी कोई दखल या अधिकार नहीं रहा हैं।

यह कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 758 के चौड़ा करने, फोरलेन करने में ग्राम सहाड़ा की हमारी आबादी की उक्त कब्जे शुदा भूमि भी अवाप्त की गई, जो आराजी संख्या 4643 का भाग है लेकिन जब राष्ट्रीयराजमार्ग की विज्ञप्ति जारी हुई तो उसमें हम वादीगण के नाम हमारी अवाप्त शुदा भूमि के सम्मुख नही आये जबकि वास्तविक स्वामी एवं काबिजहार हम वादीगण ही है। जिससे आराजी संख्या 4643 के कुल रकबे मे से 0.03 हे0 भूमि के खातेदारी की घोषणा हम वादीगण के नाम पर कराया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित होने से खातेदारी अधिकार की घोषणा का यह वाद पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं।

यह कि वादीगण हाल आराजी संख्या 4643 में से अवाप्त 0.03 हे0 भूमि के वास्तविक स्वामी एवं काबिजहार थे लेकिन राजस्व कर्मचारियों द्वारा सेवन से हमारे स्वामित्व की भूमि को बिलानाम दर्ज कर दिया जिससे उक्त अवाप्त शुदा भूमि का मुआवजा हम वादीगण वास्तविक स्वामि ही प्राप्त करने के अधिकारी है लेकिन भूमि बिलानाम होने से मुआवजा हम वादीगण को नहीं दिया जा रहा है। जिससे भी हम वादीगण के नाम आराजी संख्या 4643 में से 0.03 हे0 जो राष्ट्रीय राजमार्ग में अवाप्त हुई है का खातेदार घोषित किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है ताकि हम वादीगण उक्त आराजी का मुआवजा प्राप्त कर सके।

अतः सादर प्रार्थना हैं – कि खातेदार अधिकार की घोषणात्मक डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की [illegible] ई जावे कि ग्राम सहाड़ा तहसील सहाड़ा की सीमा में स्थित आराजी संख्या [illegible] आबादी के कुल रकबे में से 0.03 हे0 भूमि बिला[illegible] के खातेदारी अधिकार की होकर स्वामित्व की हैं । यह कि उक्त अवाप्त शु[illegible] रकबे का मुआवजा वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.27 15:49:57 IST
Reason: SelfAttested

3.

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
[illegible] जिला भीलवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188 आर.टी.ए. का इस न्यायालय में दिनांक 08.01.2021 को रेकार्ड पर लिया जाकर प्रतिवादी को सूचित किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 02 उपस्थित। प्रतिवादीगण को जवाब हेतु कई अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नहीं अतः जवाबदेही बंद की जाती है। भू0अ0 निरीक्षक से मौके की जांच रिपोर्ट तलब की गई जांच रिपोर्ट अनुसारः— यह कि वादी द्वारा ग्राम सहाड़ा के गत आराजी संख्या 1547/1 रकबा 3 बिस्वा भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन कराना बताया जो खातेदारी में दर्ज नहीं होकर जमाबंदी संवत् 2010—2013 के खाता संख्या 02 में आबादी में बिलानाम दर्ज रेकार्ड हैं। उक्त भूयिां आराजी नं0 1547 रकबा 3 बिघा 11 बिस्वा वादी के दादा द्वारा क्रय की गई जिसकी खत रजिस्ट्री मेवाड स्टेट की होकर दिनांक 06.06.1944 की है। उक्त आराजी नं0 1547 रकबा 3 बिघा 11 बिस्वा में से 16 बिस्वा भूमि आराजी नं0 1547/2क पीडब्ल्युडी के नाम सड़क में दर्ज हुई जो जमाबंदी संवत् 2026—2029 के खाता संख्या 441 पर दर्ज है। इस प्रकार आरजी नं0 1547 रकबा 3 बिघा 11 बिस्वा के तीन टुकड़े होकर 1547/1 रकबा 3 बिस्वा, 1547/2क रकबा 16 बिस्वा 1547/2ख रकबा 2 बिघा 12 बिस्व जिनके नवीन आराजी नं0 बाद सेटलमेंट 4648 रकबा 0.27 हे0, 4976 रकबा 0.29 हे0 बने एवं 1547/1 रकबा 3 बिस्वा को भू—प्रबंध द्वारा बिलानाम आबादी दर्ज रिकार्ड होने से नवीन आराजी संख्या 4643 रकबा 11.54 हे0 में मर्ज करते हुए एक ही आराजी नं0 बनाया है जो मिलना क्षेत्रफल अनुसार हैं। नवीन आराजी नं0 4643 रकबा 11.54 हे0 में से गत आराजी संख्या 1547/1 रकबा 3 बिस्वा अर्थात् 0.0324 हे0 बनता है एवं आराजी नं0 4643 रकबा 11.54 हे0 में से 0.0365 हे0 अवार्ड सं0 275—282 (अ) दिनांक 31.08.2016 से राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच)—758 में अवाप्त हुआ है। जो रेकार्ड अनुसार प्रार्थी का रकवा भी उसमे मर्ज है। जिस संबंध में पूर्व पटवारी हल्का एव नायव तहसीलदार सा0 द्वारा दिनांक 10.11.2016 रिपोर्ट मौका पर्चा पेश किया गया है।

साक्ष्यवादी प्रारम्भ की गई साक्ष्यवादी में वादीगण द्वारा बयान लेखबद्ध किये गये । वादीगण द्वारा साक्ष्य वादी में वादी अशोक कुमार पिता कन्हैया लाल सुराणा निवासी सहाड़ा जिला भीलवाड़ा द्वारा शपथ ली गई कि ग्राम सहाड़ा की साबिक आराजी संख्या 1547 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा भूमि खेमा वल्द हीरा जाट के खातेदारी की थी जिनसे छोगालाल पिता चतरभुज रांका निवासी खांखला ने सन् 1938 में क्रय की व उनसे उक्त जमीन गोपीलाल पिता हजारी मल व केसरीमल पिता गोपीलाल महाजन ने 06.06.1944 को [illegible] दोनों विक्रय पत्र क्रमशः प्रदर्श—1 व 02 है जिनकी फोटो प्रतियां पत्रावली में [illegible] की है जो क्रमश प्रदर्श —1अ व प्रदर्श—2अ है। हमारे पूर्वजो द्वारा उक्त [illegible] क्रय करने के पश्चात् राजस्थान एकिकरण हुआ। जिसमें साबिक आराजी संख्या के कुल रकबे मे से 3

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
जिला भीलवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.27 15:49:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

बिस्वा भूमि आबादी में दर्ज की गई। जिसके नवीन नम्बर 1547 / 1 रकबा 3 बिस्वा कायम किये जिसे बिलानाम आबादी दर्ज कर दिया गया जिसकी खाता नकल संवत 2010 से 2013 पेश की है जो प्रदर्श –3 है। तथा शेष भूमि का आराजी संख्या 1547 / 2 कायम किये गये जिसकी नकल संवत् 2010 से 2013 की है जो प्रदर्श – 4 है। जमाबंदी संवत् 2026 से 29 पेश की है जो प्रदर्श –5 है। ग्राम सहाड़ा की आबादी व उससे लगती हुई भूमियों का नक्शा पेश किया जो प्रदर्श–6 हैं। उक्त भूमि विरासत से पारसमल पिता केसरीमल के नाम दर्ज हुई जिसकी खाता नकल 2037 से 2040 पेश की है जो प्रदर्श –7 है। भू–प्रबंध की कार्यवाही होने के दौरान साबिक आराजी संख्या 1547 / 1 रकबा 9 बिस्वा भूमि को ग्राम सहाड़ा की नवीन आबादी की आराजी संख्या 4643 में मर्ज कर दिया जिसके प्रमाण में मिलान क्षैत्रफल की नकल पेश की है जो प्रदर्श–8 है। भू–प्रबंध की कार्यवाही के दौरान बनी जमाबंदी संवत् 2053 से 2072(गोश्वारा) पेश की जिसमें वर्तमान आराजी संख्या 4643 को आबादी दर्शा रखा है जो प्रदर्श –9 हैं। भू–प्रबंध की कार्यवाही के पूर्व साबिक आराजी संख्या 1547 / 2 में से सड़क मार्ग निकाला जिससे सड़क के पूर्व दिशा का भाग कन्हैयालाल पिता केसरीमल के हिस्से मे आया पश्चिम दिशा का भाग पारसमल पिता केसरीमल के हिस्से में आया है। जिस दोनों भाग के आराजी नं0 1547 / 2 (ख) बने जिनका इन्द्राज प्रदर्श 5 व 7 में है। सड़क के पूर्व दिशा के भाग के नवीन नम्बर 4648 व पश्चिम दिशा के भाग के 4976 बने है। साबिक आराजी संख्या 1547 / 1 रकबा 3 बिस्वा पारिवारिक विभाजन में हम वादीगण के हिस्से मे आई जो हमारे ही मालिकाना हक में थी। और हमारे ही उपयोग –उपभोग एवं मालिकाना हक सं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या – 758 को चौड़ा करने में अवाप्त की गई। जिसके संबंध में पटवरी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा पर्चे मौके क्रमशः दिनांक 10.11.2016 व 21.01.2021 को बनाये गये। जो क्रमश प्रदर्श–10 व 11 है। वर्तमान नक्शा प्रदर्श–12 है। उक्त भूमि साबिक आराजी 1547 / 1 रकबा 3 बिस्वा जिसका नवीन रकबा 0.0324 हे0 बनता है। को नवीन आराजी संख्या 4643 में मर्ज किया है। जो वास्तव में हम वादीगण के स्वामित्व व खातेदारी की है। जो हमारे नाम पर ही दर्ज होनी चाहिए थी। लेकिन राजस्व कर्मचारियों द्वारा गलत तरीके से उसे बिलानाम दर्ज कर दिया है । जिसे हम वादीगण के नाम पुनः मालिकाना हक से दर्ज किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है तथा उक्त अवाप्तशुदा [illegible] मुआवजा हम वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी है। इस आशय की [illegible] डिक्री जारी करवाना फरमायी जाकर मुआवजा हम [illegible] न्यायोचित एवं आवश्यक हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.27 15:49:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

शपथ पर जिरह पेराकार द्वारा की गईः–
प्रश्न आराजी नं0 1547 / 1 रकबा 3 बिस्व संवत् 2010 से 2013 में बिलानाम आबादी दर्ज रेकार्ड है? उत्तरः– यह बात सही हैं। यह बात सही है कि प्रदर्श –3 पर अंकित आराजी संख्या 1547 / 1 रकबा 3 बिस्वा भूमि आबादी में दर्ज होकर बिलानाम होकर हमारे नाम पर दर्ज रेकार्ड नहीं है। अज खुद कहा कि उक्त भूमि हमारे मालिकाना हक एवं कब्ज की है। यह कहना गलत है कि आराजी संख्या 1547 / 1 रकबा 3 बिस्वा भूमि को वर्तमान आराजी संख्या 4643 मे मर्ज हैं। हमारे मालिकाना हक की नहीं है। और हमने मुआवजा प्राप्त करने हेतु गलत दावा किया। वादीगण द्वारा ओर कोई साक्ष्य पेश नहीं करने से साक्ष्यवादी बंद की गई।

उक्त प्रकरण पर उभयपक्ष बहस सुनी गई। वादीगण अधिवक्ता ने अपने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा न्यायालय का ध्यान इस ओर आकृषित किया कि खातेदार अधिकार की घोषणत्मक डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी किया जाना न्यायोचित है कि ग्राम सहाड़ा तहसील सहाड़ा की सीमा में स्थित आराजी संख्या 4643 गै0मु0 आबादी के कुल रकबे में से 0.0324 हे0 भूमि बिलानाम के बजाय वादीगण के खातेदारी अधिकार की होकर स्वामित्व की हैं । यह कि उक्त अवाप्त शुदा रकबे का मुआवजा वादीगण को दिलवाया जाना न्यायेचित है। वादी ने अपने वाद पत्र को सिद्ध कराने बाबत् दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं। जिन पर प्रदर्श 1 से 12 का अंकन किया गया है। पेरोकार सरकार ने उक्त बहस एवं वाद पत्र को स्वीकार किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं जाहीर की है। प्रतिवादी संख्या 02 व उसके अधिवक्ता दौराने बहस अनुपस्थित।

मैनें पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया तथा प्रस्तुत बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्यों प्रदर्श–1 से 12, प्रस्तुत बहस के अवलोकन पर वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0 एक्ट का यह न्यायालय वादीगण के पक्ष में स्वीकार किया जाना उचित समझता है अतएवं–

–: आदेश :–

वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0ए0 का स्वीकार किया जाता हैं। तहसीलदार सहाड़ा को ग्राम सहाड़ा तहसील सहाड़ा की सीमा में स्थित आराजी संख्या 4643 गै0मु0 आबादी के कुल रकबे में से 0.0324 हे0 भूमि बिलानाम के बजाय वादीगण के नाम करने आदेश दिया जाता है। एंव इसी रकबे अनुसार वादीगण को खातेदार काश्तकार [illegible] अवाप्तशुदा रकबे का मुआवजा हेतु सक्षम न्यायालय में चाराजोही [illegible] अनुसार घोषणात्मक डिक्री जारी हो।

पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के फैसल शुदा [illegible] होकर नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.27 15:49:57 IST
Reason: SelfAttested

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर 6.

Scanned with CamScanner

मूलवाद में डिक्री

(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर

पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 38/2016 (2016/00250) **दर्ज दिनांक 06.10.2016**

वाद– अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए.

शीर्षक

1. हिम्मत कुमार आत्मज कन्हैयालाल सुराणा
2. सुन्दर लाल आत्मज कन्हैयालाल सुराणा
3. अनिल कुमार आत्मज कन्हैयालाल सुराणा
4. अशोक कुमार आत्मज कन्हैयालाल सुराणा
5. हेमलता पुत्री कन्हैयालाल सुराणा
6. इन्द्रा पुत्री कन्हैयालाल सुराणा
7. सज्जनदेवी पत्नि कन्हैयालाल सुराणा
   सर्व निवासी सहाड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा हाल नि0 सुरत जिला सुरत (गुजरात)

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर जिला भीलवाड़ा।
2. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये परियोजना निदेशक 6–ए आर0सी0व्यास कोलोनी भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा।

प्रतिवादीगण

उपस्थिति– अधिवक्ता वादीगणः–श्री रीतेश सुराणा
अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 02:– श्री दिनेश चन्द्र बापना
पेरोकार सरकार

डिक्री दिनांक 18.06.2021

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री रितेश सुराणा, एवं प्रतिवादी संख्या 02 के अधिवक्त श्री दिनेशचन्द्र बापना ,पेरोकार सरकार की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 18.06.2021 को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है ओर डिकी दी जाती हैं कि –––×––– और इस वाद के खर्च लेखे ––––×––– रूपये की राशी आज तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर ––––×––––– प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित ––––×––––– द्वारा ––––×––––– को दी जाए।

वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0ए0 का स्वीकार किया जाता हैं। तहसीलदार सहाड़ा को ग्राम सहाड़ा तहसील सहाड़ा की सीमा में स्थित आराजी संख्या 4643 गै0मु0 आबादी के कुल रकबे में से 0.0324 हे0 भूमि बिलानाम के बजाय वादीगण के नाम करने आदेश दिया जाता है। एंव इसी रकबे अनुसार वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त अवाप्तशुदा रक[illegible] में चाराजोही करें। खर्चा फरीकेन अपना – अपना वहन करेंगें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.27 15:49:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर भीलवाड़ा(राज0)

डिक्री आज दिनांक 18.06.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्याया[illegible] की मोहर से जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

Scanned with CamScanner